

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निर्देशक,

उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 2-3 मार्च, 2021

विषय:-कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान दिनांक 25.03.2021 से 31.03.2021 तक संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के आदेश संख्या-501/सत्तर-3-2021-08(20)/2020, दिनांक 12 फरवरी, 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आगामी दिवसों में मनाए जाने वाले होली एवं अन्य त्योहार तथा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान दिनांक 25.03.2021 से 31.03.2021 तक (होली हेतु निर्धारित अवकाश को छोड़ते हुए) निम्नवत संचालित किए जायेंगे :-

1. इस अवधि में निर्धारित कक्षाएँ/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किए जायेंगे।
2. जिन संस्थानों में परीक्षाएँ/प्रयोगात्मक परीक्षाएँ गतिमान हैं, वहां पर निर्धारित परीक्षाएँ/प्रयोगात्मक परीक्षाएँ यथावत संचालित की जायेंगी। समय-समय पर निर्गत कोविड-19 एसओपीओ (मानक संचालन प्रक्रिया) मास्क का अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी बनाये रखना, परिषर को सेनेटाइजेशन एवं अन्य दिशा-निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - (1) कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जायेंगे।
 - (2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व पूर्ण रूपेण सेनेटाईज किया जाए।
 - (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
 - (4) परिसर में अन्दर-बाहर आने-जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।

- (5) बायोमेट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- (6) संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जायें।
- (7) क्लास रूम में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (8) शिक्षकों/छात्रों/कर्मिकों के लिए रुमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आंख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाय।
- (9) सफाई स्टाफ/कर्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (10) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व सेनेटाईजर, हैंडवॉश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कर्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय। छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।
- (11) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (12) दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र-छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।
- (13) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-247/सत्तर-1-2021-16(11)/2014 टी.सी.-11, दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्रयोगात्मक वार्षिक परीक्षा की निर्धारित अवधि में संशोधन किया जाता है। अब यह परीक्षाएँ माह अप्रैल, 2021 के स्थान माह मई, 2021 में आयोजित की जायेंगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव। 2

कुलसचिव कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

संख्या : R/191/21

दिनांक : 24/03/2021

उक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, ल0वि0वि0।
3. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को शासन के पत्र दिनांक 23.03.2021 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त संकाय/संकायिका (लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर) को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0/परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
5. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल0वि0वि0।

कुलसचिव